हिमाचल प्रदेश सरकार

This is a digitally signed Gazette. to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 16 जुलाई, 2014 / 25 आषाढ़, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई, 2014

संख्याःएचएफडब्ल्यू–बी (ई)3–86/2013.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विष अधिनियम, 1919 (1919 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 2, 4 और 9 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप द्वारा हिमाचल प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम, 2014 बनाने का प्रस्ताव करती है तथा जिन्हें विष अधिनियम, 1919 की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण की साधारण जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे, तो वह उसे उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा ।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम, 2014 है ।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो––

(क) "अधिनियम" से विष अधिनियम, 1919 (1919 का अधिनियम संख्यांक 12) अभिप्रेत है;

(ख) "व्यौहारी" से इन नियमों के अधीन विष को अपने कब्जे में रखने के लिए और विक्रय, चाहे थोक या फुटकर में हो, के ने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा, नियम 3 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान् करने हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है,

(घ) "अनुज्ञप्तिधारी" से किसी अनुज्ञप्ति का धारक अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" इस नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(छ) "अनसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है और

(ज) "विक्रय" से अनुज्ञप्त ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य अनुज्ञप्त ब्यौहारी या किसी शैक्षिक संस्था, किसी अनुसंधान या चिकित्सा संस्था, किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी (रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी) के अधीन अस्पताल या औषद्यालय, किसी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक संस्था, अपने उपयोग हेतु विष की अपेक्षा करने वाली औद्योगिक फर्म, सरकारी विभाग, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अपने उपयोग हेतु किसी व्यक्ति को विष का विक्रय, चाहे थोक या फुटकर मे हो, अभिप्रेत है;

(2) अनूसूची में विर्निर्दिष्ट विष इस निपमों के प्रयोजन के लिए विष समझे जाएगें ।

(3) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगें जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **विष के कब्जे या विक्रय हेतु अनुज्ञत्ति.**––अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप–क में प्रदत्त या नियम 5 के अधीन नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाए, कोई व्यक्ति अनूसूची में विर्निर्दिष्ट कोई विष तब तक अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका विक्रय नहीं करेगा, जब तक अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबधों के अधीन छूट नहीं दी जाए ।

4. **परिसर में नियमों का प्रदर्शित किया जाना.**––इन नियमों की एक प्रति अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा नियम 5 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति में विर्निर्दिष्ट अपने व्यावसायिक परिसर में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी ।

5. **अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन.**—(1) विष को अपने कब्जे में रखने और उसका विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप–ख पर पांच सौ रुपए की फीस सहित अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जा सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन, अवसान की तारीख से उचित समय पूर्व पांच सौ रुपए की विहित फीस के अतिरिक्त, प्ररूप क में एक सौ रुपए प्रति मास की फीस या उसके भाग सहित किया जाएगा।

(3) यदि मूल अनुज्ञप्ति खो गई है या नष्ट हो गई है, तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए पुलिस के पास दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति और पांच सौ रुपए की फीस सहित आवेदन कर सकेगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी के कारबार (व्यवसाय) के स्थान परिसर में किसी परिवर्तन की दशा में, अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप में नया आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ पांच सौ रूपये की फीस संलग्न की जाएगी ।

(5) यदि विष का विक्रय या भण्डारण एक से अधिक स्थान पर किया जाता है, तो पृथक आवेदन किया जाएगा और कारबार के प्रत्येक ऐसे स्थान की बाबत पृथक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जाएगी ।

(6) अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्रमाण–पत्र प्ररूप ग पर जारी किया जाएगा ।

(7) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या कोई व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व या अनुज्ञप्ति के प्रवृत रहने की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन या स्वीकृत अनुज्ञप्ति में विर्निदिष्ट कारबार परिसर, चाहे स्व–स्वामित्वाधीन या भाटक पर या किसी अन्य आधार पर, फर्म के गठन या किसी अन्य सुसंगत मामले की बाबत दस्तावेजी साक्ष्य, जो आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए गए कथनों का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, यथास्थिति, आवेदन करते समय या अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् मांग पर प्राधिकारी को देगा ।

6. **अनुज्ञप्ति की अवधि.**—नियम 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन, कोई अनुज्ञप्ति, यदि निलंबित या रद्द नहीं की गई हो, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन इसके अवसान से पूर्व किया जाता है, या यदि आवेदन उसके अवसान के पश्चात् छह मास के भीतर किया जाता है, तो पांच सौ रूपए की अतिरिक्त फीस के संदाय के पश्चात् अनुज्ञप्ति तब तक प्रवृत रहेगी, जब तक आवेदन पर आदेश पारित नही किए जाते है । यदि उसके अवसान के पश्चात छह मास के भीतर उसके नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता हैं, तो अनुज्ञप्ति अवसित हुई समझी जाएगी ।

7. **अनुज्ञापन प्राधीकारी का विवेकाधिकार.**—कोई अनुज्ञप्ति किसी भी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द या प्रतिसंहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति का दुरूपयोग किया गया है,

परन्तु अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या प्रतिसंहरण से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु या अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत किया जाता है या अनुज्ञप्ति रद्द या प्रतिसंहृत की जाती है, तो वह आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा ।

8. **अनुज्ञप्ति का पर्यवसान.**—अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या उसके कारबार का किसी अन्य स्थान को अंतरण होने पर और यदि किसी फर्म या कम्पनी के परिसमापन पर या ऐसी फर्म या कम्पनी के कारबार के अंतरण पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, तो अनुज्ञप्ति का पर्यावसान हो जाएगा,

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार फर्म या कम्पनी का किया गया कारबार किसी चालू समुत्थान के रूप में अंतरित किया जाता है और अंतरिती अंतरण के चौदह दिन के भीतर एक सौ रूपये के न्यायलय फीस स्टाम्प सहित नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता है, तो विद्यमान अनुज्ञप्ति तब तक प्रवृत रहेगी, जब तक नई अनुज्ञप्ति प्रदान नही की जाती है या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नई अनुज्ञप्ति के लिए आवदन अस्वीकृत नही किया जाता है ।

9. **अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, प्रतिसंहरण या रददकरण पर स्टॉक का निपटारा.**—नियम 8 के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या रददकरण की दशा में या नियम 9 के अधीन अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की दशा में विष का स्टॉक अनुज्ञप्ति की ऐसे प्रतिसंहरण या रददकरण की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को विक्रीत किया जा सकेगा, जिसके पश्चात् शेष विष अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशों के अधीन नष्ट किया जाएगा । नियम 9 में निर्दिष्ट मामले में, विक्रय की आगम, यदि कोई हो, यथास्थिति, मृत अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि या उसके अंतरिती, या विघटित फर्म या कम्पनी के समायक या फर्म या कम्पनी के अंतरिती को दी जाएगी ।

10. **विषों और रजिस्टरों के निरीक्षण की शक्ति.**—कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उप–निरीक्षक और उससे ऊपर की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई चिकित्सा अधिकारी या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की धारा 21 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक, किसी भी समय, अनुज्ञप्तिधारी के परिसर का, जहां विष विक्रय के लिए रखा होता है, निरीक्षण कर सकेगा और उसमें पाये गए समस्त विषों और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा ।

11. **अनुज्ञप्ति जिसको प्रदान् की जाती है.**—(1) जब तक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान नही हो जाता है कि परिसर, जिसकी वावत अनुज्ञप्ति प्रदान की जानी है या नवीकृत की जानी है, विष हेतु, जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित है, सुरक्षित, सुप्राप्त, उचित भण्डारण आवास सहित पर्याप्ततः सुसज्जित है तथा ऐसे व्यक्ति के भार साधन में है, जिसने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा उर्त्तीण की हैं, और अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में विष, के प्रापण हथालन, विक्रय और वितरण का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करने के लिए सक्षम है ।

(2) सापत्तिक फर्म या भागीदारी फर्म या किसी कम्पनी के नाम से जारी अनुज्ञप्ति हमेशा कम्पनी या संस्था या अन्यों के स्वत्वधारी या स्वत्वधारियों के नाम से होगी और उसका स्वत्वधारी या भागीदार या निदेशक या विहित अर्हता रखने वाला, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई उत्तरदायी व्यक्ति या प्रबन्धक उत्तरदायी व्यक्ति होगा ।

(3) इस प्रकार किए गए उत्तरदायी व्यक्ति, (यों) के नाम (मों) में फर्म या कम्पनी से लिखित आवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ एक सौ रूपए की कोर्ट फीस स्टाम्प लगी होगी ।

12. **विष का विक्रय.**—(1) विष का विक्रय, यथासाध्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा या जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कम्पनी है, वहां ऐसी फर्म या कम्पनी के किसी प्रत्यायित प्रतिनिधि के माध्यम से या पर्यवेक्षणाधीन किया जाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके पास इन नियमों के अधीन, विष को अपने कब्जे में रखने या उसके विक्रय हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति है विष का भण्डारण या विक्रय अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसर से करेगा ।

13. **व्यक्ति जिन्हें विष विक्रीत किया जा सकेगा.**—कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को विष का विक्रय तब तक नहीं करेगा, जब तक पश्चात्कथित व्यक्तिगत रूप से उसका परिचित नहीं है, या फोटो पहचान–पत्र, जिसमें उसका पता हो पेश करके उसका समाधान करते हुए पहचान नही की जाती या उसका पता देते हुए किसी दस्तावेज द्वारा सिद्ध नही किया जाता है । वह कोई विष विक्रय करने से पूर्व, क्रेता का नाम, दूरभाष और पता तथा प्रयोजन, जिसके लिए विष का क्रय किया जाना है, भी अभिनिश्चित् करेगा । वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसको अठारह वर्ष की आयु से कम का प्रतीत होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे प्रतीत होता है कि इसके पास उसकी अपनी पूर्ण पहचान नहीं है, कोई विष विक्रय नहीं करेगा ।

14. **विष के विक्रय का रजिस्टर.**—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें वह केमिस्ट, औषध विक्रेता या नुस्खा बना रहा या मिश्रित कर रहा कम्पाउंडर या अर्हित चिकित्सा अधिकारी या व्यवसायी अथवा पशु चिकित्सा व्यवसायी के प्रदेशन की अनुपालना से प्रयोग किए जाने वाले से अन्यथा, समस्त विष के विक्रय को सही रूप से दर्ज करेगा। ऐसे विक्रय की बाबत ऐसे रजिस्टर में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) क्रम संख्या,

(ख) विष का नाम,

(ग) विक्रीत मात्रा,

(घ) विक्रय की तारीख,

(ङ) क्रेता का नाम और पता, प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र या आधार कार्ड की क्रम संख्या और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम,

(च) विष के लिए अपेक्षित कथित प्रयोजन,

(छ) क्रेता के हस्ताक्षर (निरक्षर की दशा में अंगूठे की छाप) या डाक द्वारा क्रय की दशा में तारीख जिसको पत्र लिखा गया है और मूल सन्दर्भ जिसमें परिरक्षित किया गया है,

(ज) क्रेता की पहचान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, यदि कोई है (या अंगूठे की छाप, यदि निरक्षर है), और

(झ) व्यौहारी के हस्ताक्षर ।

(2) वह प्रत्येक विष के लिए रजिस्टर के पृथक भाग में अलग-अलग स्तम्भों में प्रतिदिन विक्रीत प्रत्येक विष की मात्रा को दर्ज करेगा और प्रविष्टियां प्रतिदिन की जाएंगी ।

(3) उप-नियम (15) की मद संख्या (झ) के अधीन विहित रजिस्टर में हस्ताक्षर स्वयं अनुज्ञप्तिधारी के होंगे या जब फर्म या कम्पनी अनुज्ञप्तिधारी है, तो ऐसी कम्पनी या फर्म के प्रत्यायित प्रतिनिधि के होंगे और क्रेता को विक्रय या प्रेषण करते समय किए जाएंगे। ऐसे हस्ताक्षर का यह अर्थ लगाया जाएगा कि हस्ताक्षरकर्ता का अपना समाधान हो चुका था कि नियम 14 की अपेक्षाएं पूर्ण कर दी गई है ।

(4) उपरोक्त रजिस्टर की मद संख्या (छ) के अधीन निर्दिष्ट पत्रों या लिखित आदेशों को विक्रय की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल रूप में परिरक्षित किया जाएगा ।

(5) स्टॉक के दैनिक अतिशेष की प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी चाहिए ।

15. **विक्रय के लिए रखें गए विष की अभिरक्षा और जिन पात्रों में वे रखे गए हैं, पर लेबल लगाना.**—इन नियमों के अधीन विक्रय के लिए रखे गए समस्त विष के बकसे, अलमारी, कमरे या भवन (अनुरक्षित की गई मात्रा के अनुसार) में सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा, जिसे ताले में रखा जाएगा और जिसमें इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार रखे गए विष से अन्यथा कोई अन्य पदार्थ नहीं रखा जाएगा और प्रत्येक विष को बकसे, अलमारी, कमरे या भवन में पृथक कांच, धातु या मिट्टी के बंद पात्र में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा । प्रत्येक ऐसे बकसे, अलमारी, कमरे या भवन और प्रत्येक ऐसे पात्र में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लाल अक्षरों में "विष" शब्द अंकित किया जाएगा तथा पात्रों में भिन्न-भिन्न विष रखे होने की दशा में ऐसे विष का नाम लिखा जाएगा ।

16. **विक्रय किए जाने वाले विष का सुरक्षित तरीके के पैक किया जाना और लेबल का लगा होना.**——जब किसी विष का विक्रय किया जाता है तो उसे सुरक्षित तरीके से (मात्रा के अनुसार) बन्द पात्र या आधान में पैक किया जाएगा, और प्रत्येक ऐसे पात्र या पैकट पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में विष के नाम और अनुज्ञप्तिधारी के नाम और पते वाला लाल लेबल लगाया जाएगा। सार्वभौमिक चेतावनी प्रतीक भी पात्र पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

17. **उपभोक्ताओं (व्यस्टियों के सिवाय) द्वारा तेजाब नाशक पदार्थों की सुरक्षा, भण्डारण और घटना प्रबन्धन.**——उपभोक्ता के परिसर में, तेजाब / नाशक पदार्थों के संरक्षण, भण्डारण और घटना प्रबन्धन के लिए किए गए उपायों की रूपरेखा की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0), प्रदर्शित की जाएगी, जो निम्न प्रकार से है:—

(1) तेजाब या नाशक पदार्थों की सुरक्षा .—

(क) कोई व्यक्ति परिसर में तेजाब के कब्जे और सुरक्षित रखने के लिए जवाबदार होगा,

(ख) तेजाब या नाशक पदार्थ का भण्डारण ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन होगा,

(ग) तेजाब या नाशक पदार्थ का भण्डारण अधिकाधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डबल लॉक सिस्टम के अन्तर्गत होगा,

(घ) तेजाब के उपयोग का रजिस्टर रखा जाएगा और उसे प्रत्येक तीन मास में सम्बद्ध उपमण्डल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार (जहां उप–मण्डल मजिस्ट्रेट का कार्यालय विद्यमान नहीं है) के पास दाखिल किया जाएगा, और

(ङ) जहां तेजाब या नाशक पदार्थ का उपयोग या भण्डारण किया जाता है, वहां प्रयोगशालाओं या भण्डारण के स्थान से बाहर जाने वाले छात्रों / और कर्मचारियों की अनिवार्य जांच होगी ।

(2) तेजाब या नाशक पदार्थों का भण्डारण.—

(क) रसायन का भण्डारण प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त पात्रों में किया जाएगा,

(ख) समस्त भण्डारण पात्रों पर रसायन की पहचान, उससे अन्तवर्लित जोखिम और ली जाने वाली पूर्वविधानियों को उपदर्शित करने के लिए लेबल लगाए जाएंगें और

(ग) असंगत रसायनों का भण्डारण साथ–साथ नहीं किया जाएगा,

(घ) नाशक रसायनों की तालिका के न्यूनतम रखा जाएगा,

(ङ) रक्षात्मक दस्तानें, एप्रन, (सेफ्टी ग्लासिज) फेस शील्ड जहां उचित है, पहने जाएं,

(च) तेजाब को सावधानी से पतला किया जाए सदैव तेजाब पानी में मिलाएं, कभी भी तेजाब में पानी न मिलाए,

(छ) त्वचा सम्पर्क: संदूषित वस्त्र, जूते और चमडे की वस्तुएं (उदाहरणार्थ घड़ी के फीते, बेल्टस) तुरन्त उतारें । अत्यधिक रसायन को तुरन्त और सावधानी पूर्वक सुखाए या पोंछें । तुरन्त कम से कम 30 मिनट के लिए गुनगुने, धीमे बहाव वाले पानी से धोएं । यदि इसे सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है, तो धुलाई में अवरोध न डालें अस्पताल ले जाते समय लगातार धुलाई करते रहें । यदि अनिवार्य उपचार अपेक्षित हो तो विष केन्द्र या चिकित्सक को तुरंत बुलाए या अस्पताल ले जाने के लिए वाहन मंगाएं ।

(ज) नेत्र सम्पर्क: सीधे सम्पर्क से बचें । यदि आवश्यक हो, तो रसायन से सुरक्षित दस्ताने पहनें। तुरन्त और धीरे से चेहरे से रसायन को सुखाएं या पोंछें । सदूषित आंखों को तुरन्त पलकें खुली रखते हुए कम से कम तीस मिन्ट के लिए गुनगुने धीमे बहते हुए पानी के साथ धोएं । यदि कान्टेक्ट लेंस लगा रखे है, तो उन्हें धोने और लैंस हटाने में विलम्ब न करें । निष्क्रिय नमकीन घोल, जितना शीघ्र यह उपलब्ध हो, उपयोग में लाया जा सकता है। धोने में अवरोध न डालें । यदि आवश्यक हो, तो अस्पताल ले जाने के दौरान धोना जारी रखें।

(झ) अन्तर्ग्रहण: पीडित का मुंह पानी से धुलवाएं। यदि स्वाभाविक रूप से उलटी हो जाती है, तो श्वास के खतरे को कम करने के लिए पीडित को आगे की ओर झुकाएं। पीडित के मुंह को पुनः पानी से धुलवाएं। तुरन्त विष केन्द्र या चिकित्सक को बताएं/बुलाएं। यदि उपचार अनिवार्यतः अपेक्षित हो, तो पीडित को अस्पताल ले जाएं।

(ञ) अन्त श्वसन: बचाव का प्रयास करने से पूर्व अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए (उदाहरणार्थ उचित सुरक्षित उपस्कर पहनें) सावधानी बरतें। पीडित को खुली हवा में ले जाएं। सांस लेने के लिए आरामदेह स्थिति में आराम से रखें । यदि सांस लेना कठिन हो रहा हो, तो प्रशिक्षित कर्मचारी को आपातिक ऑक्सीजन देनी चाहिए। पीडित को अनावश्यक रूप से चलना–फिरना अनुज्ञात न करें। फेफड़े के शोध/सूजन के लक्षण को विलंबित किया जा सकता है। तुरन्त विष केन्द्र या चिकित्सक को बताएं/बुलाएं। उपचार अनिवार्यतः अपेक्षित है। अस्पताल ले जाएं।

18. **कतिपय क्षेत्र में विष के कब्जे को विनियमित करने की शक्ति.**—यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट विष का कब्जा जिसमें हत्या या पशुओं को विष देकर रिष्टि करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विष का उपयोग उसे इस प्रकार बार–बार किया जाना प्रतीत होता है तो वह आदेश द्वारा, उसके कब्जे पर ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे। उसके किसी भंग के लिए वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जिसके सम्बन्ध में भंग किया गया है, उन पात्रों, पैकेजों और ओवरन्टकों की जब्ती सहित जिनमें वह पाया गया है, दोनों से दण्डनीय होगा।

19. **शास्तियां.**—कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उपबन्धों का उल्लघन करता है, तो वह विष अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा ।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ।

अनुसूची

(नियम 2 देखें)

विष की सूची :

1 एसीटिक ऐसिड (भार द्वारा 25 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)
2 एसीटिक ऐनहाईड्राइड।
3 सल्फ्यूरिक एसिड(एच2 एस0 4) (भार द्वारा 5 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)
4 हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड (एच सी एल) (भार द्वारा 5 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)
5 फॉसफारिक ऐसिड (एच 3 पी 04)।
6. हाइड्रोफ्लोरिक ऐसिड (एच एफ)।
7. पेरक्लोरिक ऐसिड (एस सी 104)।
8 फॉर्मिक ऐसिड (भार द्वारा 10 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)।

9 हाइड्रोसाइनिक ऐसिड के भार में 0.1 प्रतिशत से कम भार वाले पदार्थों के सिवाय, हाइड्रोसाइनिक ऐसिड।

10 हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड के भार मे 5 प्रतिशत से कम भार वाले पदार्थों के सिवाय, हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड।

11 नाइट्रिक ऐसिड के भार में 5 प्रतिशत से कम भार वाले पदार्थों के सिवाय, नाइट्रिक ऐसिड।

12 आक्सेलिक ऐसिड।

13 मर्क्यूरी का पर क्लोराइड(करोसिव सब्लमेट)।

14 पोटैषियम हाइड्रोक्साइड के भार में 2 प्रतिशत से कम भार वाले पदार्थों के सिवाय, पौटोषियम हाइड्रोक्साइड।

15 सोडीअम हॉइड्रोक्साइड के भार में 2 प्रतिशत से कम भार वाले पदार्थों के सिवाय, सोडीअम हाइड्रक्साइड ।

16 हॉईड्रोजन पराक्साइड (भार द्वारा 50 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)

17 फॉमल्डहाइड (भार द्वारा 25 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक।

18 फिनॉल (भार द्वारा 3 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)

19 सोडीअम हाईपोक्लोराइट सूलषन भार द्वारा 5 प्रतिशत सान्द्रता से अधिक)

20 वाइट आर्सनिक।

प्ररूप—क

(नियम 5 (1) देखें)

विष के विक्रय स्टॉक या वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन।

1. मैं/हम...विष का .... के अवस्थित परिसरों में फुटकर और/या थोक द्वारा विक्रय या वितरण करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकृत करने के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं ।

2. औषधियों का विक्रय, स्टॉक और वितरण अर्हित व्यक्ति नामतः................................ के वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

3. प्रस्तावित विक्रीत किए जाने विषों की सूची

1...2...3...

4. रूपए.......................................(..................) की फीस सरकारी खाते में जमा की गई है।

तारीख..............................

आवेदक(कों) का नाम और पता

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1 परिसरों का साइट और अभिन्यास (ले आऊट प्लान।

2 परिसरों के स्वामित्व से या किराए पर लेने से सम्बन्धित दस्तावेज।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि के नामनिर्देषन सहित, भागीदारी फर्म या कम्पनी की दशा में संविधान।

4 आवेदक/स्वत्वधारी/भागीदारों/अर्हित व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र

प्ररूप ख
(नियम 3 देखें)

विष के विक्रय, स्टाक या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या————————

तारीख ————————

अनुज्ञप्तिधारी / अर्हित भार साधक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

1 ———————— को गांव———————————————डाकघर——————————
तहसील——————जिला——————हिमाचल प्रदेश में अवस्थित परिसरों में, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शर्तों और विष अधिनियम, 1919 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, विष का निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार फुटकर और / या थोक द्वारा विक्रय या वितरण हेतु एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है ।

1)————————————————————

2)————————————————————

3)————————————————————

4)————————————————————

2. अर्हित (व्यक्ति (यों) का नाम:————————————————

3. यह अनुज्ञप्ति——————————से——————————तक प्रवृत रहेगी ।

तारीख:

अनुज्ञापन / प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुज्ञप्ति की शर्तें—

1. यह अनुज्ञप्ति जनसाधारण के लिए परिसरों के किसी भाग में प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाएगी ।
2. अनुज्ञप्तिधारी, विष अधिनियम, 1919 और तत्समय प्रवृत तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।
3. अनुज्ञप्तिधारी, भार साधक व्यक्ति के नाम परिवर्तन की दशा में ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।
4. किसी भी विष का, अनुज्ञप्ति में यथा पृष्ठांकित अर्हित व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण से अन्यथा न तो स्टॉक किया जाएगा न ही विक्रय किया जाएगा ।
5. कोई भी विष तब तक स्टॉक या विक्रीत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका सम्यक रूप से अनुज्ञप्त ब्यौहारी से नकद / क्रेडिट मेमो के अन्तर्गत क्रय न किया गया हो ।
6. किसी व्यक्ति को तब तक विष का विक्रय नहीं किया जाएगा जब तक पश्चात्कथित व्यस्क (18 वर्ष के अधिक आयु) न हो, व्यक्तिगत रूप से उसका परिचित न हो या फोटो पहचान पत्र पेश करके उसकी पहचान का समाधान न हो गया हो और रखी गई पूर्ण पहचान संतोषजनक न हो ।

7. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन चलाई जा रही फर्म के गठन में किसी परिवर्तन की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा । जहां फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है, वहां विद्यमान अनुज्ञप्ति, ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए विधिमान्य समझी जाएगी, जब तक कि इस की अनुज्ञापन प्राधिकारी से, परिवर्तित गठन सहित फर्म के नाम में नई अनुज्ञप्ति नहीं ली जाती है।

8. अनुज्ञप्तिधारी, हिमाचल प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम के उपबन्धों के अनुसार सभी विषों के क्रय, स्टाक और विक्रय का अभिलेख बनाए रखेगा ।

9. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु पर, या यदि फर्म या कम्पनी को प्रदान की गई है तो परिसमापन पर है या ऐसी फर्म या कम्पनी के कारबार के अन्तरण पर पर्यवसित हो जाएगी ।

प्ररूप ग

(नियम 5(6) देखें)

विष के विक्रय, स्टाक या वितरण की अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्रमाणपत्र

अनुज्ञप्ति संख्या————————————जारी करने की तारीख————————

1. प्रमाणित किया जाता है कि प्ररूप क में जारी पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति संख्या————————,जो मैसर्ज————————को————————में अवस्थित परिसरों में विष अधिनियम, 1919 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित विषों के विक्रय, स्टाक या वितरण के लिए————————से ————————अवधि को नवीकृत किया जाता है ।

————————को प्रदान की गई थी, को ————————से ————————तक की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया है ।

1)————————————

2)————————————

3)————————————

4)————————————

2. अर्हित प्रभारी व्यक्ति(यों)का नाम ————————————————

तारीख ————————————अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

[*Authoritative English Test of this Department Notification No. HFWB(E)3-86/2013 Dated* 14-7-2014 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th July, 2014

No. HFW-B(E)3-86/2013.—In exercise of the powers conferred by section 8 read with sections 2, 4 and 9 of the Poisons Act, 1919 (Act No.12 of 1919), the Governor, Himachal Pradesh

hereby proposes to make The Himachal Pradesh Poisons (Possession and Sale) Rules, 2014 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) for the general information of the public as required under sub section (2) of section 8 of the Poisons Act, 1919.

If any person likely to be affected by the draft rules has any objections or suggestions to make with regard to the said rules, he may send the same to the Additional Chief Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of thirty days from the date of publication of the same in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary).

The Objections or suggestions, if any, received with the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the said rules, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Poisons (Possession and Sale) Rules, 2014.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Poisons Act, 1919(Act No.12 of 1919);

(b) "dealer" means a person holding a valid license for possession and sale of poisons whether in wholesale or retail under these rules;

(c) "Licensing Authority" means the District Magistrate or any other officer authorized by the State Government under rule 3 to grant a license;

(d) "licensee" means holder of a license;

(e) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(e) "form" means form appended to these rules;

(f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules; and

(g) "sale" means sale of poisons, whether in wholesale or retail, by the licensed dealer to another licensed dealer or to any educational institution, any research or medical institution, hospital or dispensary under a qualified medical practitioner (Registered Medical Practitioner), any recognized public institution, industrial firm requiring poisons for its own use, Government Departments, Public Sector Undertakings or an individual for personal use.

(2) The poisons specified in the Schedule shall be deemed to be poisons for the purpose of these rules.

(3) The terms and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **License for possession or sale of poisons.**—No person, unless exempted under the provisions of the Act and the rules made thereunder shall possess or sell any poison specified in the Schedule, except under a license in Form-B granted or renewed under rule 5 by the Licensing Authority.

4. **Exhibition of rules on the premises.**—A copy of these rules shall be displayed by the Licensee at conspicuous place in his Business premises specified in the license granted under rule 5.

5. **Application for grant or renewal of license.**—(1) Application for grant of a license for possession and sale of poisons may be made to the licensing authority in Form-A accompanied by a fee of rupees five hundred.

(2) Application for renewal of license shall be made well before the expiry date accompanied by a fee of rupees one hundred per month or part thereof in Form- A, in addition to the prescribed fee of rupees five hundred.

(3) In case original license is lost or destroyed, the licensee may make application for issue of duplicate license accompanied by a copy of First Information Report lodged with the police and a fee of rupees five hundred.

(4) In the case of any change in the place of premises of business of the licensee, a fresh application for license shall be made in writing to the Licensing Authority and such application will be accompanied by a fee of rupees five hundred.

(5) If poisons are sold or stocked at more than one place, separate application shall be made, and a separate license shall be obtained in respect of each such place of business.

(6) A certificate of renewal of a license shall be issued in Form-C.

(7) The application for grant of license or any person granted a license shall, on demand, furnish to the authority, before grant of license or during the period the license is in force, as the case may be, documentary evidence in respect of business premises whether self owned or rental or any other basis, specified in the application for license or in the license granted, constitution of the firm or any other relevant matter which may be required for the purpose of verifying the correctness of the statements made by the applicant or the licensee while applying for or after obtaining the license, as the case may be.

6. **Duration of license.**—Subject to the provisions of rules 8 and 9, a license, unless suspended or cancelled, shall be valid for a period of five years from the date of issue of the same.

Provided that if application for renewal of license is made before its expiry, or if the application is made within six months after its expiry, after payment of additional fee of five hundred rupees, the license shall continue to be in force until orders are passed on the application. The license shall be deemed to have expired, if application for its renewal is not made within six months after its expiry.

7. **Discretion of licensing authority.**—A license may be cancelled or revoked at any time by the licensing authority, if it is satisfied that licensee has misused the license.

Provided that before cancellation or revocation of license, the licensee shall be afforded reasonable opportunity of being heard.

Provided further that if application for grant of a license or renewal of license is refused or license is cancelled or revoked, he may file appeal within thirty days from the date of order before the Appellate Authority, notified by the State Government.

8. **Termination of license.**—A license shall stand terminated on the death of license holder or on transfer of his business to other place and if license is granted to a firm or company, on winding up or transfer of business of such firm or compan .

Provided that if the business carried on by the licensee as such of the firm or company is transferred as a going concern and the transferee applies for a fresh license with court fee stamp of hundred rupees, within fourteen days of the date of transfer, the subsisting license shall continue to be in force until a new license has been granted or the application for fresh license is rejected by the licensing authority.

9. **Disposal of stock on termination, revocation or cancellation of license.**—In the event of revocation or cancellation of license under rule 8 or in the event of the termination of license under rule 9 the stock of poisons may be sold to any other license holder within a period of three months from the date of such termination, revocation or cancellation of the license, after which the remaining poisons shall be destroyed under the orders of the licensing authority. In the case referred to in rule 9, the proceeds of the sale if any, shall be made over to the legal representative of the deceased license holder or his transferee or, liquidator of the dissolved firm or company of the transferee of the firm or company, as the case may be

10. **Power to inspect poisons and registers.**—Any Executive Magistrate or a Police officer of the rank of Sub-Inspector and above or a Medical Officer appointed by the State Government or an Inspector appointed under section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) may, at any time, visit and inspect the premises of the license holder where a poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers.

11. **License to whom granted.**—(1) No license shall be granted or renewed to any person unless the authority empowered to grant the license is satisfied that the premises in respect of which the license is to be granted or renewed are safe, secured, adequately equipped with proper storage accommodation for the poisons to which the license applied and are in the charge of a person who has passed the Matriculation examination or its equivalent examination from a recognized Board and competent in the opinion of the Licensing Authority to supervise and control the procurement, handling, sale and distribution of poisons.

(2) The license issued in the name of proprietary firm or partnership firm or any company shall always be in the name of the proprietor or proprietors of the company or institution or others and its proprietor or partner(s) or Director(s) or a responsible person to be nominated or manager, as the case may be, holding the prescribed qualification, shall be the responsible person.

(3) The name or names of the responsible person(s) so given may be altered or amended by the licensing authority on a written application from the firm or company and such application shall bear a court fee stamp of one hundred rupees.

12. **Sale of poison.**—(1)Sale of poison, as far as practicable, shall be made by the license holder in person or where the license- holder is a firm or a company, through or under supervision of an accredited representative of such firm or company.

(2) A person holding license for possession and sale of poisons granted under these rules shall store and sell the poison from the premises specified in the license.

13. **Persons to whom poisons may be sold.**—A license holder shall not sell any poison to any person unless the latter is personally known to him, or identified to his satisfaction by producing a photo identity card which has his address or substantiate it with a document giving his

address. He shall also ascertain before selling any poison the name, telephone and address of the purchaser and the purpose for which the poison is to be purchased. He shall not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of eighteen years, or to any person who does not appear to him to be in full possession of his identity.

14. **Register of sales of poisons.**—(1) Every license holder shall maintain a register in which he shall enter correctly all sales of poisons other than used by a Chemist, Druggist or Compounder dispensing or compounding in compliance with the prescription of a qualified medical officer or practitioner or veterinary practitioner. The following details shall be entered in such register in respect of such sale, namely:

(a) Serial No.;

(b) Name of poison;

(c) Quantity sold;

(d) Date of sale;

(e) Name and address of the purchaser, serial number of the photo identity card or Adhar Card produced and the name of the issuing authority;

(f) Purposes for which the poison was stated to be required

(g) Signature of purchaser (or thumb impression if illiterate) or in the case of purchase by post, date on which the letter was written and reference to the original in the file in which it is preserved;

(h) Signature of a person identifying the purchaser if any (or thumb impression, if illiterate); and

(i) Signature of Dealer.

(2) In a separate portion of the register he shall enter in separate columns for each poison, the quantity of each poison sold daily, and those entries shall be filled up from day to day.

(3) The signature in the register prescribed under item (i) of sub rule (15) shall be that of the license-holder himself, or, when the license holder is a firm or company, that of an accredited representative of such firm or company and shall be written at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the signatory had satisfied himself that the requirements of rule 14 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred to under item (g) of the above register shall be preserved in original by the license holder for a period not less than two years from the date of sale.

(5) The daily balance of stock should be entered in the register.

15. **Custody of poisons kept for sale and labelling of receptacles in which they are kept.**—All poisons kept for sale under these rules by any license holder shall be kept securely in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a license granted under these rules, and each poison shall be kept securely within such box,

almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, metal or earthenware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "POISON" in red capital letters, both in English and in the local language and in the case of receptacles containing separate poison, with name of such poison.

16. **Poisons sold to be securely packed and labelled.**—When any poison is sold, it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity): and every such receptacle or packet shall be labeled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the poison and the name and address of the licensee. The universal warning symbols shall also be displayed on the receptacle.

17. **Security, storage and incident management of acids/corrosive substances by users 18 (except individuals).**—A Standard Operating Procedure (SOP) outlining the measures undertaken for security, storage and incident management of acids or corrosive substances shall be prepared and prominently displayed in the premises of the user, which are as under:

(1) Security of acid or corrosive substances.

(a) a person shall be accountable for possession and safekeeping of acid in the premises;

(b) the storage of acid or corrosive shall be under the supervision of such person;

(c) the storage of acid or corrosive shall be under double lock system to ensure more security;

(d) a register of usage of acid shall be maintained and the same shall be filed with the concerned SDM (or Tehsildar wherever the office of SDM does not exist) in each quarter; and

(e) there shall be compulsory checking of the students and personnel leaving the laboratories or place of storage where acid or corrosive is used or stored.

(2) storage of acids or corrosive substances,—

(a) the chemicals shall be stored in plastic or other suitable containers;

(b) all storage containers shall be labeled to indicate the identity of the chemicals and the hazards involved and the precautions to be taken;

(c) incompatible chemicals shall not be stored together;

(d) the inventory of corrosive chemicals shall be kept to a minimum;

(e) protective gloves, aprons, safety glasses and face shields should be worn where appropriate.

(f) Acids should be diluted with care- always add acid to water, never add water to acid.

(g) Skin contact: Quickly take off contaminated clothing, shoes and leather goods (e.g. watchbands, belts). Quickly and gently blot or brush away excess chemical. Immediately flush with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes. Do not

interrupt flushing, if it can be done safely; continue flushing during transport to hospital. Immediately call a Poison Centre or doctor if treatment is urgently required, or call transport to a hospital.

(h) Eye contact: Avoid direct contact. Wear chemical protective gloves if necessary. Quickly and gently blot or brush chemical off the face. Immediately flush the contaminated eye(s) with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes, while holding the eyelid(s) open. If a contact lens is present, do not delay flushing or attempt to remove the lens. Neutral saline solution may be used as soon as it is available. Do not interrupt flushing. If necessary, continue flushing during transport to hospital.

(i) Ingestion: Have victim rinse mouth with water. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Have victim rinse mouth with water again. Immediately call a Poison Centre or doctor. If treatment is urgently required, transport victim to a hospital.

(j) Inhalation. Take precautions to ensure your own safety before attempting rescue (e.g. wear appropriate protective equipment). Move victim to fresh air. Keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is difficult, trained personnel should administer emergency oxygen. Do not allow victim to move about unnecessarily. Symptoms of pulmonary edema may be delayed. Immediately call a Poison Centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.

18. **Power to regulate possession of any poison in certain area.**—If the Licensing Authority is of the opinion that the possession of any specified poison in any local area in which the use of such poison for the purpose of committing murder or mischief by poisoning cattle appears to it to be such frequent occurrence, it may, by order impose such restriction on the possession thereof as it may deem fit. Any breach thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both together with confiscatjon of the poison in respect of which the breach has been committed, and of the vessels, packages or covering in which the same is found.

19. **Penalities.**—Any person who acts in contravention of the provisions of these rules, shall be liable for punishment under section 6 of the Act.

By order
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Health).

Schedule
[*See* Rule 2]

List of poisons

1. Acetic acid (beyond 25% concentration by weight).
2. Acetic Anhydride.
3. Sulphuric acid (H_2SO_4) (beyond 5% concentration by weight).

4. Hydrochloric acid (HCl) (beyond 5% concentration by weight).

5. Phosphoric acid (H_3PO_4).

6. Hydrofluoric acid (HF).

7. Perchloric acid ($HClO_4$).

8. Formic Acid (beyond 10% concentration by weight).

9. Hydrocyanic Acid except substances containing less than 0.1 percent weight in weight of Hydrocyanic Acid.

10. Hydrochloric acid, except substances containing less than 5 percent weight in weight of Hydrochloric acid.

11. Nitric acid, except substances containing less than 5 percent weight in weight of Nitric Acid.

12. Oxalic acid.

13. Per chloride of mercury (corrosive sublimate).

14. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2 percent weight in weight of Potassium Hydroxide.

15. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2 percent weight in weight of sodium Hydroxide.

16. Hydrogen peroxide (beyond 50 % concentration by weight).

17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight).

18. Phenol (beyond 30 0 concentration by weight).

19. Sodium Hypochlorite Solution (Beyond 5% concentration by weight).

20. White Arsenic

FORM A

[(*See* Rule 5(1)]

Application for the grant/renewal of the licenses to sell, stock or distribute Poisons

1. I/we ____________ of ____________ hereby apply for the grant/ renewal of the license to sale by retail and/ or wholesale or distribute poison(s) on the premises situated at ____________.

2. The sale, stocking and distribution of the drugs will be made under the personal supervision of the qualified person namely: ____________.

3. List of the Poisons proposed to be sold:

1. ______ 2. ______ 3. ______

4. A fee of Rupees ______ (______) has been credited in the Government account.

Date: ______

Signature

Name and address of the applicant(s)

List of the documents to be enclosed

1. Site and layout plan of the premises.
2. Documents pertaining to the ownership or rental arrangement of the premises
3. Constitution, in case of partnership firm or company including nomination for the authorized representative.
4. Photo IDs of the applicant/ proprietor/partners/qualified person

---

FORM B

(See Rule 3)

License to sell, stock or distribute Poisons

Passport size photograph of the licensee/ qualified person in charge

License No. ______

Date: ______

1. ______ is hereby licensed to possess, sell or distribute by retail and/or wholesale poisons as detailed below on the premises situated at Village: ______ PO; ______ Tehsil: ______ District: ______ of Himachal Pradesh, subject to the conditions specified below and to the provisions of the The Poison Act 1919 and the rules made thereunder.

1) ______

2) ______

3) ______

4) ______

2. Name(s) of the qualified person(s) in charge: ______________

3. This license shall remain in force from ____________ to ____________.

Date: ____________

Signature and seal of the Licensing Authority

Conditions of the license

1. This license shall be displayed in a prominent place in the part of the premises open to the public.

2. The licensee shall comply with the provisions of the Poison Act 1919 and the Rules made there under for the time being in force.

3. The licensee shall report to the licensing authority any change in the name of person in-charge within one month of such change.

4. No poison shall be stocked or sold otherwise under the direct supervision of the qualified person as endorsed in the license.

5. No poison shall be stocked or sold unless the same has been purchased under the cash/credit memo from a duly licensed dealer.

6. No Poison shall be sold to any person unless the later is major (above 18 years in age) personally known to him or identified to his satisfaction by producing photo identity card and satisfactory to be in full possession of his indentity.

7. The licensee shall inform the Licensing Authority in the event of any change in the oonstitution of the firm operating under the license. Where any change in the constitution of the firm takes place the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date of such change takes place unless, in the meantime a fresh license has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.

8. The licensee shall maintain the records of purchase, stock and sale of all Poisons in accordance with provisions of the Himachal Pradesh Poison (Possession and Sale) Rules.

9. The license shall terminate on the death of the license-holder or if granted to a Firm or company on the winding up or transfer of the business of such firm or company.

FORM C

[(*See* Rule 5(6)]

Certificate of Renewal of the License to sell stock or distribute Poisons

License No. ______________ Date of issue: ______________

1. Certified that above said license No. ____________ issued in form A, granted on ________ to M/S. ______________________________ for the sale, stock or

distribution of the following poisons under the provisions of the Poison Act at the premises situated at ________________ has been renewed for the period from ____________ to ____________.

1) ________________

2) ________________

3) ________________

4) ________________

2. Name(s) of the person(s) in charge ________________

Date: ____________

Licensing Authority.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 जुलाई, 2014

संख्याः यू0 डी0–ए (3)–8/2007–II.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0 डी0–ए (3)–8/2007–II, तारीख 9–11–2012 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहायक अरण्यपाल वन (ए.सी.एफज.) को भी, जहां तक वन भूमि के अधिक्रमण के साथ–साथ अप्राधिकृत अधिभोग का सम्बन्ध है, पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन वन मण्डल वृत्त कुल्लू, मण्डी, धर्मशाला, रामपुर, शिमला और नाहन में उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, तुरन्त प्रभाव से 31–3–2015 तक की अवधि के लिए कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए भी नियुक्त करती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (शहरी विकास)।

[*Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(3)-8/2007-II, dated* 15-07-2014 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15*th* *July*, 2014

No. UD-A(3)-8/2007-II.—In continuation of this Department's Notification No. UDA(3) 8/2007-II dated 9-11-2012 and in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the